कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक . शिविरा–माध्य / मा–स / 22492 / प्रवेशोत्सव / 2018–19 / दिनांक : 28.7.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय

विषय :–राजकीय विद्यालयों में कक्षा समूह–वार प्रदत्त नामांकन लक्ष्य अर्जन की सुनिश्चितता के लिए नवीन प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि में वृद्धि किए जाने बाबत् ।

प्रसंग :– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 13.07.2018 एवं कमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / कमोन्नति / राउमावि / 2017–18 दिनांक : 27.07.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निर्देश पत्र द्वारा राजकीय विद्यालयों में कक्षा – 9 से 12 के लिए नवीन प्रवेश हेतु पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में वृद्धि पश्चात् दिनांक : 31.07.2018 निर्धारित की गई थी। शासकीय निर्देशों के कम में इस सत्र में नव कमोन्नत माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसी वर्ष क्रमशः कक्षा–9 के साथ कक्षा–10 एवं कक्षा–11 के साथ कक्षा–12 के संचालन बाबत् विभागीय स्वीकृति प्रासंगिक पत्र दिनांक : 27.07.18 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उक्तानुरूप समस्त जिलों से प्रदत्त नामांकन लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्त नवीन नामांकन प्रगति सूचना के समीक्षोपरान्त वर्ष : 2018–19 में कक्षा–9 से 12 के लिए राजकीय विद्यालयों में नवीन प्रवेश हेतु पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई में वृद्धि की जाकर 15 अगस्त–2018 निर्धारित की जाती है। कक्षा – 1 से 8 के लिए आर.टी.ई. अधिनियम – 2009 के प्रावधानुसार आयुनुरूप प्रवेश सत्रपर्यन्त शिविरा पंचांग में उल्लेखितानुसार हो सकेगा ।

उपर्युक्त क्रम में क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि में वृद्धि के निर्देश प्रसारित करते हुए विभाग द्वारा सत्र : 2018–19 के लिए प्रत्येक विद्यालय हेतु कक्षा समूह–वार निर्धारित नामांकन लक्ष्य अर्जन हेतु संस्था प्रधान / शिक्षक स्तर पर समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 17.04.2018 द्वारा नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना में प्रदत्त निर्देशानुरूप आवश्यक कार्यवाही किए जाने की सुनिशिचितता करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
7. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर